(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/82/2021
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/200

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री राधेश्याम मौर्य पुत्र श्री रामेश्वरदयाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, महल बाग, कमरा नं.3, तिजारा (अलवर) राज.		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 15.11.2021
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
निर्णय

दिनांकः 14.12.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 13.08.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के विभागीय जॉच संबंधी प्रकरण में आरोप–पत्र, आरोप विवरण–पत्र आदि संबंधी 04 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 09.11.21 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांकः 23.11.2021 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, साथ ही दिनांकः 16.11.21 को ई–मेल के जरिये भी नोटिस प्रेषित करते हुए जवाब चाहा गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गंभीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदन के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांक 13.08.2021 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात सूचना उपलब्ध नहीं कराने का युंक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नही की है जो उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति प्रत्यर्थी कार्यालय की उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है।
7. अस्तु अपील स्वीकार की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 13.08.2021 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत सूचना यदि उपलब्ध कराई जाने की श्रेणी में हो तो उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में वांछित सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को निःशुल्क ही अधिप्रमाणित करते हुए पंजीकृत–पत्र के जरिये उपलब्ध करा दी जावे अन्यथा स्थिति में तद्नुसार अपीलार्थी को सूचित करें।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित ।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)